गुरपंथ सिंह आदि **बनाम** मुखत्यार कौर आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 43 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/242

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 39 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 100/86 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.504 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि मुझ अप्रार्थीया की स्वअर्जित सम्पति है, जिसकी प्रार्थिया खातेदार मालिक है और कानूनन खातेदार के विरूद्व किसी भी रूप में स्थगन आदेश जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने के आदेश दिए जावे। लिहाजा अप्रार्थी मुखत्यार कौर पत्नी शिंगारा सिंह, राजस्व ग्राम 39 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 100/86 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.504 हैक्टेयर भूमि की अभिलिखित खातेदार है और अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना विधिसंगत नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाए जाते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)